न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और न्यायमूर्ति एन सी खिची के समक्ष

हरियाणा राज्य सहकारी विकास
फेडरेशन लिमिटेड - *अपील करनेवाला*

बनाम

राजबीर सिंह — *प्रतिवादी*

1992 का एलपीए 770

18 अप्रैल 1998

भारत का संविधान, 1950 । अनुशेद 226— इस्तीफा वापस लेना— कर्मचारी ने भविष्य की तारीख से प्रभावी होने के लिए इस्तीफा सौंप दिया— इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। त्याग पत्र में उल्लिखित तिथि से पहले- कर्मचारी ने त्यागपत्र वापस लेने की मांग की- ऐसी याचिका खारिज कर दी गई- उसे चुनौती दी गई- माना गया कि त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध निर्धारित तिथि तक अधूरा है। कर्मचारी द्वारा- इस्तीफा वापस लेने का कर्मचारी का अधिकार बरकरार रखा गया।

आयोजित, यह मुद्दा भारत संघ आदि बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा और अन्य, एआईआर 1978 एससी 694 और बलराम गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1987 एससी 2354 में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के निर्णय द्वारा कवर किया गया है। इन निर्णयों को देखते हुए, जब भी कोई कर्मचारी इस अनुरोध के साथ इस्तीफा देता है कि उसे भविष्य की किसी तारीख से कार्यमुक्त कर दिया जाए, तो वह अनुरोध कर्मचारी द्वारा निर्धारित तिथि तक अप्रभावित रहता है। नियोक्ता अपने द्वारा निर्धारित तिथि से पहले कर्मचारी को कार्यमुक्त करने का हकदार नहीं है। . मामले के इस दृष्टिकोण में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि इस्तीफे की स्वीकृति के बावजूद प्रतिवादी को अपना अनुरोध वापस लेने का अधिकार था, कायम रखा जाना चाहिए।

(5 के लिए)

सहभारत की संस्था, 1950 । अनुशेद 226— वेतन का बकाया— कर्मचारी त्यागपत्र प्रस्तुत करता है—कर्तव्य से मुक्तियानी और. लाभकारी रूप से नियोजित- इसके बाद त्यागपत्र की स्वीकृति रद्द करवाकर बकाया वेतन की मांग करता है। - ऐसा कर्मचारी हकदार नहीं होगा इस के बकाया वेतन के लिए अवधि वह था लाभप्रद रोज़गार।

आयोजित, कि प्रतिवादी ने कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने के उद्देश्य से इस्तीफा दिया था। जब नियत तिथि से पहले उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया बल्कि वास्तव में लाइसेंस प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाया। फिर भी तथ्य यह है कि प्रतिवादी लाभकारी रूप से नियोजित था। अपनी सेवाएँ समाप्त होने के कारण उन्होंने कानूनी प्रैक्टिस शुरू नहीं की थी। दरअसल, उन्होंने वकालत शुरू करने के लिए इस्तीफा दिया था। इस स्थिति में, हम इसे उचित नहीं मानते हैं कि नियोक्ता उस अवधि के वेतन का बोझ उठाए जिस दौरान कर्मचारी वकील के रूप में अभ्यास कर रहा था।

(8 के लिए)

*आगे आयोजित*कि प्रतिवादी अपने कर्तव्यों से मुक्त होने की तारीख से लेकर लाइसेंस निलंबित/रद्द होने की तारीख तक वेतन के बकाया का हकदार नहीं होगा।

(10 के लिए)

जैसा। गुलिया, अधिवक्ता, *अपीलकर्ता के लिए.*

आर.के. मलिक, अधिवक्ता, *प्रतिवादी के लिए.*

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता

(1) इस अपील में जो दो प्रश्न उठते हैं वे हैं:-

1. क्या कोई कर्मचारी जिसने अपना इस्तीफा भविष्य की तारीख से प्रभावी होने के लिए दिया है, वह अपना अनुरोध केवल इसलिए वापस लेने का हकदार नहीं है क्योंकि नियोक्ता उस तारीख से पहले इस्तीफा स्वीकार करना चाहता

है जिससे वह प्रभावी होना चाहता था?

2. क्या वह कर्मचारी जिसे अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था और लाभप्रद रूप से नियोजित किया गया था, नियोक्ता के उस आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप वेतन की बकाया राशि का दावा करने का हकदार है जिसके द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया गया था?

(2) इन दोनों प्रश्नों के निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्यों पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है।

(3) प्रतिवादी हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड के साथ काम कर रहा था। 9 मई, 1990 को उन्होंने प्रबंध निदेशक को सूचित किया कि वह "एक वकील के रूप में अभ्यास" शुरू करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने "इस्तीफे के लिए 3 महीने का नोटिस प्रस्तुत किया, जिसे 9 अगस्त, 1990 को स्वीकार किया जा सकता है"। इस संचार की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुबंध पी-4 पर है। यह अनुरोध नियोक्ता द्वारा 15/29 जून, 1990 को स्वीकार कर लिया गया और प्रतिवादी को उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया। 3 अगस्त, 1990 को प्रतिवादी ने प्रबंध निदेशक को एक और पत्र लिखा और अनुरोध किया कि उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जाए, जिसे 9 अगस्त, 1990 को स्वीकार करना पड़ा। *ख़बरदार* 10 अगस्त 1990 के पत्र में प्रतिवादी को सूचित किया गया कि प्रशासक मंडल ने 29 जून 1990 को हुई बैठक में उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आगे रुपये की राशि वसूल करने का निर्णय लिया गया है। 19,401 जो उनके खिलाफ बकाया था। इस प्रकार, प्रतिवादी का इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। इस कार्रवाई से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने प्रार्थना की कि जिस आदेश से उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया था और वापसी का अनुरोध खारिज किया गया था, उसे रद्द कर दिया जाए। उन्होंने परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए भी प्रार्थना की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, फेडरेशन ने वर्तमान पत्र पेटेंट अपील दायर की है।

(4) उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

1 के संबंध में.

(5) जहां तक पहले सवाल का सवाल है, मामला यह नहीं है *पुनः- एकीकरण.* यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के निर्णय द्वारा कवर किया गया है *भारत संघ इत्यादि। गोपाल चंद्र मिश्रा एवं अन्य* (1) और *Bdhani Gupta* में। *भारत संघ और. अन्य(2).* इन निर्णयों के मद्देनजर, जब भी कोई कर्मचारी इस अनुरोध के साथ इस्तीफा देता है कि उसे भविष्य की किसी तारीख से कार्यमुक्त कर दिया जाए, तो कर्मचारी द्वारा तय की गई तारीख तक उसका अनुरोध अधूरा रहता है। नियोक्ता अपने द्वारा निर्धारित तिथि से पहले कर्मचारी को कार्यमुक्त करने का हकदार नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि इस्तीफे की स्वीकृति के बावजूद प्रतिवादी को अपना अनुरोध वापस लेने का अधिकार है, कायम रखा जाना चाहिए।

2 के संबंध में:

(6) जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, कुछ तथ्य ध्यान देने योग्य हैं। प्रतिवादी ने इस विशिष्ट आधार पर इस्तीफे का अनुरोध प्रस्तुत किया था कि वह एक वकील के रूप में अभ्यास शुरू करना चाहता था। यह अनुरोध उनके द्वारा किया गया था, *-.ख़बरदार* पत्र दिनांक 9 मई 1990। द्वारा। यह पत्र याचिकाकर्ता ने इस अनुरोध के साथ "इस्तीफे के लिए 3 महीने का नोटिस" प्रस्तुत किया था कि इसे "9 अगस्त, 1990 को स्वीकार किया जाए"। विशिष्ट अनुरोध के बावजूद, यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता-फेडरेशन के प्रबंध निदेशक ने प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और 15 जून, 1990 को उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया था। प्राधिकरण की इस कार्रवाई को विधिवत मंजूरी दी गई थी 29 जून, 1990 को प्रशासकों का बोर्ड। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी ने अपने इस्तीफे की स्वीकृति के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों से मुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने प्राधिकरण की इस कार्रवाई को स्वीकार कर लिया है और वह बार काउंसिल से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं। 19 अगस्त, 1992 को विविध आवेदन के साथ प्रतिवादी द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, उन्हें 3 जुलाई, 1990 को बार काउंसिल से लाइसेंस प्राप्त हुआ था। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना कानूनी अभ्यास शुरू कर दिया था। हलफनामे में दिए गए कथनों के अनुसार, प्रतिवादी ने 3 जुलाई 1990 से 3 अगस्त 1992 की अवधि के दौरान 27 मामले चलाए थे, जब उसे विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के अनुसरण में सेवा में बहाल किया गया था। की पृष्ठभूमि में

(1) एआईआर 1978 एस.सी. 694
(2) एआईआर 1987 एस.सी. 2354

इस तथ्यात्मक स्थिति में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी का अपना इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध बाद के चरण में वेतन आदि के बकाया के रूप में लाभ प्राप्त करने का एक उपकरण मात्र था। इसी उद्देश्य के अनुसरण में उन्होंने वास्तव में अक्टूबर 1990 के अंत में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

(7) प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री मलिक ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि नियोक्ता ने प्रतिवादी को अवैध रूप से कार्यमुक्त कर दिया था और उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के अवसर से वंचित कर दिया था। इस प्रकार, कर्मचारी उस राशि को छोड़कर बाकी वेतन का हकदार है जो उसने वास्तव में अर्जित की थी। विद्वान वकील ने विभिन्न न्यायालयों के निर्णय पर भरोसा रखा है *कृष्णा आयुसाथ*में। *हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड (CONFED) और अन्यएस(3) कोलार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड और रामा राव और अन्यहै(4) और रंजीत सिन*आर घमें। *उप रजिस्ट्रार कूपमूल समाज, फा राइड हॉट और अन्य(एच)।* इन निर्णयों के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि जब भी कोई आदेश निर्धारण अवैध पाया जाता है, तो कर्मचारी वेतन के पूर्ण बकाया के परिणामी लाभों का हकदार होता है।

(8) निस्संदेह, यह सामान्य दृष्टिकोण है। हालाँकि, वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने के उद्देश्य से इस्तीफा दिया था। जब नियत तिथि से पहले उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया बल्कि वास्तव में लाइसेंस प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाया। 3 जुलाई 1990 को लाइसेंस प्राप्त होने के कारण यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि उन्होंने कानूनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसके बाद, इस्तीफा वापस लेने की अनुमति के लिए 3 अगस्त 1990 का पत्र प्रस्तुत करना बाद के चरण में उपयोग के लिए एक उपकरण था। प्रतिवादी ने मामलों का संचालन किया। उनका दावा है कि उन्होंने केवल रु. की राशि अर्जित की है. 13,000. ऐसा हो सकता है. फिर भी तथ्य यह है कि प्रतिवादी लाभकारी रूप से नियोजित था। अपनी सेवाएँ समाप्त होने के कारण उन्होंने कानूनी प्रैक्टिस शुरू नहीं की थी। दरअसल, उन्होंने वकालत शुरू करने के लिए इस्तीफा दिया था। इस स्थिति में, हम इसे उचित नहीं मानते हैं कि नियोक्ता उस अवधि के वेतन का बोझ उठाए जिस दौरान कर्मचारी वकील के रूप में अभ्यास कर रहा था।

(3) 1998(1) एएलजे 325
(4) 1998(1) एलएलजे 383
(5) 1991(3) आरएसजे 129

(9) श्री मलिक का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा वास्तव में अर्जित की गई राशि को उसके देय वेतन से काटा जा सकता है। हालाँकि शेष राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि इस तरह के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो नियोक्ता को यह निर्धारित करने के असंभव कार्य का सामना करना पड़ेगा कि कर्मचारी ने वास्तव में क्या अर्जित किया था। नियोक्ता के लिए वास्तविक राशि

निर्धारित करना असंभव होगा। इससे भी आगे, यह कर्मचारियों को, विशेष रूप से जिनके पास पेशेवर डिग्री है, उन्हें इस्तीफा देने, निजी प्रैक्टिस शुरू करने और फिर इस्तीफा वापस लेने का अवसर मिलेगा। वे निजी प्रैक्टिस में पैसा कमाएंगे और फिर बकाया वेतन के लिए दावा करेंगे। ऐसे विवादों को किसी भी स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में हल नहीं किया जा सकता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी 3 अगस्त 1992 को ड्यूटी में शामिल हुआ था। वह फेडरेशन में अपने पद पर बना हुआ है।

(10) समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जबकि अपीलकर्ता-फेडरेशन द्वारा इस्तीफा वापस लेने के प्रतिवादी के अनुरोध को अस्वीकार करने की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है और यह माना जाता है कि वह सेवा में वापस लिए जाने का हकदार है, वेतन के बकाया के परिणामी लाभों के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। यह माना जाता है कि प्रतिवादी अपने कर्तव्यों से मुक्त होने की तारीख से लेकर लाइसेंस निलंबित/रद्द होने की तारीख तक वेतन के बकाया का हकदार नहीं होगा। अन्यथा, प्रतिवादी सेवा में निरंतरता के लाभ का हकदार होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय उस सीमा तक संशोधित किया गया है। इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रह

जैस्मीन प्रीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)
सोनीपत, हरियाणा